फर्द अहकाम

रशीदा अफजल बनाम बंशी वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 05/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 22/08/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश से नियत थी। पत्रावली में उपलब्ध वादी के वाद पत्र मय दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस को मद्देनजर रखते हुए वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है व तफसीलवार निर्णय पृथक से लिखा गया। निर्णय शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे अदालत सुनाया गया। पत्रावली कोर्ट रजिस्टर में दर्ज होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
वईजलास श्री ललित मीना R.A.S.

मुकदमा नम्बर – 05/2024

दायर दिनांक 18.01.2024

1. रशीदा अफजल पत्नि अफजल अब्दूल अहम जाति मूसलमान निवासी प्लाट नं0 70–ए अवधपुरी, महेश नगर, जयपुर।
2. जैनब अफजल पत्नि अफजल अब्दूल अहम जाति मूसलमान निवासी प्लाट नं0 38, जालूपुरा, जयपुर।
3. सदफ मलिक पत्नि अब्दूल मलिक जाति मूसलमान निवासी प्लाट नम्बर 69/304, वी0टी0रोड, मानसरोवर जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बंशी पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ढाणी सालेरी ग्राम मीणों का बाढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. रामबाबू बैरवा पुत्र रामनारायण बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम मीणो का बाढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. रमाशंकर पुत्र रामनारायण बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम मीणो का बाढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री रमाशंकर शर्मा एडवोकेटः– वादीगण

(दावा बाबत घोषणा एवं
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय दिनांक 22.08.2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एडवोकेट रमाशंकर शर्मा द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की जरिये पंजीकृत विकय पत्र कयशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा ग्राम मीणों का बाढ, तहसील जमवारामगढ में स्थित ळे जिसका हाल किये गये सेटलमेंट मे साबिक खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2300है0 बनाये गयें है। जिसे आगे इस वादपत्र में में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण ने जरिये विकय पत्र उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 14.05.2010 को कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसका पंजीयन कार्यालय द्वितीय जयपुर के पंजीयन कार्यालय में दिनांक 14.05.2010 को पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 647 में पृष्ठ सं0 55 कम सं0 2010052004181 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 2574 के पृष्ठ संख्या 53 से 61 पर चस्पा किया गया है। जिसकी वादीगण जरिये विकय पत्र खातेदार काश्त हो गयी थी। परन्तु उक्त विकय पत्र का नामान्तकरण वादियागण के हक में तस्दीक नही हुआ। प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि को पुनः दिनांक 07.12.2021 को प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र बैचान कर दिया जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम खोल दिया गया जिससे प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम उक्त भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नही होता है तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के हक में किया गया पंजीकृत विकय पत्र एवं खोला गया विकय पत्र का नामान्तकरण वादियागण के हक अधिकारों के खिलाफ आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी है

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

जिसका कोई विपरित प्रभाव वादियागण के हक अधिकारो पर नही पडता है। वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने कयशुदा हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करती आ रही है दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वादीगण को तथा वादग्रस्त भूमि की विकय पत्र अनुसार कानूनन वास्तविक खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 द्वारा दलालों से बातचीत करने व मौके पर अनजान लोगों लाने के बाद कब्जे काश्त से बेकाबिज करने का असफल प्रयास किया एवं धमकिया दी कि में तुम्हे बेकाबिज करके रहेगे तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 ने कहा कि हम उक्त भूमि के सम्पूर्ण भाग का बैचान करेगें। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को समझाया कि उक्त वादग्रस्त भूमि हम लोगो ने पूर्व में प्रतिवादी सं0 1 से जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय कर रखी है प्रतिवादी सं0 1 ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों से साज कर आपको वादग्रस्त भूमि का पुनः बैचान कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में तुम्हारा नाम नामान्तकरण होने से गलत अंकित हो रहा है जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 जबरन वादग्रस्त भूमि पर से वादीयागण को बेदखल करने का आमादा हो गये। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के हक में किये गये विकयपत्र एवं नामान्तकरण को वादीयागण के हक अधिकारों के खिलाफ शुन्य प्रभावी घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम दर्ज हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावें तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें।

उपरोक्त अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तलवी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादीगणों का बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही आये। अतः दिनांक 21.03.2024 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादपत्र के आधार पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1 :– आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 ग्राम मीणों का बाढ को वादीगण ने जरिये पंजीकृत विकयपत्र कय कर रखा है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 2 :– आया वादियागण प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के पक्ष में किये गये पुनः पश्चावर्ती विकय एवं नामान्तकरण वादियागण के अधिकारो के खिलाफ शुन्य घोषित करवाने की अधिकारी है।

जिम्में वादीगण

तनकी नं0 3:– आया वादियागण जरिये पंजीकृत विकय पत्र प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी काश्त वादियागण है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 4:– आया अन्य अनुतोष क्या होगा।

साक्ष्यवादी :–

1. वकील वादी ने **साक्ष्यवादी** के रूप में वादीया **रसीदा अफजल पत्नि अफजल अब्दूल जाति मुसलमान निवासी प्लाट नं0 70–ए अवधपुरी, महेश नगर जयपुर राजस्थान** का शपथपत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 दिनांक 24.05.24 को पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया कि मै उक्त उनवानी वाद में वादीया सं0 1 हूँ व वाद पत्र के समस्त तथ्यों से भली भाति परिचित हूँ। हम वादियागण कि जरिये पंजीकृत विकयपत्र कयशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा ग्राम मीणो का बाढ तहसील जमवारामगढ में स्थित है जिसका हाल सेटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

229 रकबा 0.2300है0 बनाये गये है जिसे आगे इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। हम वादियागण ने जरिये पंजीकृत विकय पत्र उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 14.05.2010 को कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के पंजीयन कार्यालय में दिनांक 14.05.2010 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 647 में पृष्ठ सं0 55 कम संख्या 20100052004181 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2574 के पृष्ठ संख्या 53 से 61 पर चस्पा किया गया है। जिसकी हम वादियागण जरिये विकयपत्र खातेदार काश्त हो गयी थी। परन्तु उक्त विकय पत्र का नामान्तकरण हम वादियागण के हक में तस्दीक नही हुआ। प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि को पुनः दिनांक 07.12.2021 को प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र बैचान कर दिया जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम खोल दिया गया जिससे प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को उक्त भूमि बावत किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नही होता है। तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के हक में किया गया पंजीकृत विकय पत्र एवं खोला गया विकय का नामान्तकरण हम वादियागण के हक अधिकारों के खिलाफ आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी है जिसका कोई विपरित प्रभाव हम वादियागण के हक अधिकारों पर नही पडता है। वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने कयशुदा हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करती आ रही है दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वादीगण को तथा वादग्रस्त भूमि की विकय पत्र अनुसार कानूनन वास्तविक खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 द्वारा दलालों से बातचीत करने व मौके पर अनजान लोगों लाने के बाद कब्जे काश्त से बेकाबिज करने का असफल प्रयास किया एवं धमकिया दी कि में तुम्हे बेकाबिज करके रहेगे तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 ने कहा कि हम उक्त भूमि के सम्पूर्ण भाग का बैचान करेगें। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को समझाया कि उक्त वादग्रस्त भूमि हम लोगो ने पूर्व में प्रतिवादी सं0 1 से जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय कर रखी है प्रतिवादी सं0 1 ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों से साज कर आपको वादग्रस्त भूमि का पुनः बैचान कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में तुम्हारा नाम नामान्तकरण होने से गलत अंकित हो रहा है जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 जबरन वादग्रस्त भूमि पर से वादीयागण को बेदखल करने का आमादा हो गये। हम वादियागण बरूहे कानून वादगस्त भूमि की खातेदार काश्तकार हैं इस कारण वादियागण के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। हम वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार स्वयं को घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने की अधिकारी है। मैने अपने उक्त वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी, विकय पत्र इत्यादि दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत किये है। उपरोक्त बयान मेरे कहे अनुसार लिखाये गये है मैने पढ व समझकर मेरे हस्ताक्षर किये है।

बयान/जिरह :— रसीदा अफजल पत्नि अफजल अब्दूल जाति मुसलमान निवासी प्लाट नं0 70—ए अवधपुरी, महेश नगर जयपुर राजस्थान सशपथ बयान करती हूँ :— कि वादियागण की जरिये विकय पत्र कयशुदा भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा ग्राम मीणों का बाढ, तहसील जमवारामगढ में स्थित है। हाल किये गये सेटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23है0 बनाये गये है। वादगस्त भूमि खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23है0 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श 1 मार्क किया गया है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम मीणों का बाढ खसरा नम्बर 229 को प्रदर्श 2 मार्क किया है। वादियागण ने जरिये पंजीकृत विकय पत्र वादग्रस्त खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादी सं 0 1 से दिनांक 14.05.2010 को कय कर मौके पर कब्जा कर लिया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के पंजीयन कार्यालय में दिनांक 14.05.2010 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 647 के पृष्ठ सं0 55 कम सं0 20100052004181 पंजीबद्व किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 2574 के पृष्ठ सं0 53 से 61 पर चस्पा किया गया है। उक्त विकय पत्र को प्रदर्श 3 मार्क किया गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 ग्राम मीणो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला—जयपुर

का बाढ को वादियागण ने जरिये पंजीकृत विकय पत्र कर रखा है। वादियागण प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के पक्ष में किये गये पुनः पश्चात वृति विकय एवं नामान्तकरण वादियागण के अधिकारों के खिलाफ शुन्य पश्चात घोषित करवाने का अधिकारी है। वादियागण जरिये पंजीकृत विकय पत्र प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार वादीयागण है। मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मेरे बयान का अभिन्न अंग मानकर पढा जावें।

2. वकील वादी ने **साक्ष्यवादी** के रूप में वादीया सं0 3 सदफ मलिक पत्नि अब्दूल मलिक जाति मुसलमान निवासी प्लाट नम्बर 69/304 वी0टी0रोड, मानसरोकर, जयपुर की ओर से का शपथपत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 दिनांक 24.05.24 को पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया कि मै उक्त उनवानी वाद में वादीया सं0 3 हूँ व वाद पत्र के समस्त तथ्यों से भली भाति परिचित हूँ। हम वादियागण कि जरिये पंजीकृत विकयपत्र कयशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा ग्राम मीणो का बाढ तहसील जमवारामगढ में स्थित है जिसका हाल सेटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2300है0 बनाये गये है जिसे आगे इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। हम वादियागण ने जरिये पंजीकृत विकय पत्र उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 18 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 14.05.2010 को कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के पंजीयन कार्यालय में दिनांक 14.05.2010 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 647 में पृष्ठ सं0 55 कम संख्या 20100052004181 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2574 के पृष्ठ संख्या 53 से 61 पर चस्पा किया गया है। जिसकी हम वादियागण जरिये विकयपत्र खातेदार काश्त हो गयी थी। परन्तु उक्त विकय पत्र का नामान्तकरण हम वादियागण के हक में तस्दीक नही हुआ। प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि को पुनः दिनांक 07.12.2021 को प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र बैचान कर दिया जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम खोल दिया गया जिससे प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को उक्त भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नही होता है। तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के हक में किया गया पंजीकृत विकय पत्र एवं खोला गया विकय का नामान्तकरण हम वादियागण के हक अधिकारों के खिलाफ आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी है जिसका कोई विपरित प्रभाव हम वादियागण के हक अधिकारों पर नही पडता है। वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने कयशुदा हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करती आ रही है दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वादीगण को तथा वादग्रस्त भूमि की विकय पत्र अनुसार कानूनन वास्तविक खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 द्वारा दलालों से बातचीत करने व मौके पर अनजान लोगों लाने के बाद कब्जे काश्त से बेकाबिज करने का असफल प्रयास किया एवं धमकिया दी कि में तुम्हे बेकाबिज करके रहेगे तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 ने कहा कि हम उक्त भूमि के सम्पूर्ण भाग का बैचान करेगें। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 को समझाया कि उक्त वादग्रस्त भूमि हम लोगो ने पूर्व में प्रतिवादी सं0 1 से जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय कर रखी है प्रतिवादी सं0 1 ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों से साज कर आपको वादग्रस्त भूमि का पुनः बैचान कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में तुम्हारा नाम नामान्तकरण होने से गलत अंकित हो रहा है जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 जबरन वादग्रस्त भूमि पर से वादीयागण को बेदखल करने का आमादा हो गये। हम वादियागण बरूहे कानून वादगस्त भूमि की खातेदार काश्तकार हैं इस कारण वादियागण के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। हम वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार स्वयं को घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने की अधिकारी है। मैने अपने उक्त वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी, विकय पत्र इत्यादि

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत किये है। उपरोक्त बयान मेरे कहे अनुसार लिखाये गये है मैने पढ़ व समझकर मेरे हस्ताक्षर किये है।

बयान/जिरह:– सादफ मलिक पत्नि अब्दुल मलिक जाति मुसलमान निवासी प्लाट नम्बर 69/304 वी0टी0रोड, मानसरोवर, जयपुर सशपथ बयान करती हूँ :– कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 ग्राम मीणो का बाढ़ को वादियागण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर रखा है, जिस पर वादीयागण का कब्जाकाश्त है। वादियागण ने उक्त भूमि पर पाटोल का कमरा बना रखा है। वादियागण प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के पक्ष में किये गये पुनः पश्चातवृति विक्रय पत्र एवं नामान्तकरण वादीयागण के अधिकारो के खिलाफ शुन्य घोषित करवाने की अधिकारी है। वादियागण जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23है0 सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार वादीयागण है। मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को मेरे बयानों का अभिन्न अंग मानकर पढ़ा जावें।

वकील वादीगण की बहस को सुनी गई। पत्रावली का अद्योपात अवलोकन व मनन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार निर्णित किया गया।

तनकी नं0 1 :– इस तनकी का भार वादियागण पर था। वादियागण द्वारा इस तनकी को सिद्ध कराने हेतु विक्रय पत्र की मूल प्रति पेश की। जो उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के पंजीयन कार्यालय में दिनांक 14.05.2010 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 647 में पृष्ठ सं0 55 कम संख्या 20100052004181 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2574 के पृष्ठ संख्या 53 से 61 पर अंकित है। जिससे यह सिद्ध होता है कि मीणों का बाढ़, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित खाता सं0 44 के खसरा नं0 714 रकबा 18 बिस्वा प्रतिवादी सं0 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीयागण के पक्ष में निष्पादन कर दिया। अतः यह तनकी बहक वादीयागण तय की जाती है।

तनकी नं0 2 :– इस तनकी का भार वादीयागण पर था। वादीयागण द्वारा इस तनकी को सिद्ध कराने हेतु प्रदर्श सं0 1– जमाबंदी, प्रदर्श सं0 2– मिलान क्षेत्रफल एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में दिनांक 07.12.2021 को निष्पादित विक्रय पत्र की छायाप्रति पेश की। उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक जमवारामगढ में दिनांक 07.012.2021 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 199 पृष्ठ सं0 166 कम सं0 202103424101450 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 797 के पृष्ठ ं0 196 से 200 पर चस्पा किया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि मीणो का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित वर्तमान खसरा नं0 229 रकबा 0.2300है0 किस्म चाही 2 साविक खसरा नम्बर 714 रकबा 0.2300है0 को विक्रय प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पूर्व में विक्रय पत्र वादियागण के हक में दिनांक 14.05.2010 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 647 में पृष्ठ सं0 55 कम संख्या 20100052004181 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2574 के पृष्ठ संख्या 53 से 61 द्वारा कर दिया है। जिसका नामान्तकरण नही खोला गया। जो कि वादीयागणों के अधिकारों के खिलाफ है। अतः वादीयागण पुनः पश्चातवर्ती विक्रय पत्र एवं नामान्तकरण को शुन्य घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादीयागण तय की जाती है।

तनकी नं0 3 :– इस तनकी का भार वादीयागण पर था। वादीयागण द्वारा इस तनकी को सिद्व कराने हेतु जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, दिनांक 14.05.2010 व दिनांक 07.12.2021 को निष्पादित विक्रय पत्रों की प्रतियॉ पेश की। जिससे यह सिद्व होता है कि ग्राम मीणों का वाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित वर्तमान खसरा नं0 229 रकवा 0.2300है0 के साविक खसरा नम्बर 714 रकबा 0.2300है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि सम्पूर्ण हिस्सा वादीयागण के पक्ष में दिनांक 14.05.2010 को जरिये विक्रय पत्र द्वारा निष्पादन पूर्व में किया जा चुका है। जिसका नामान्तकरण खोलने से रह गया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पुनः पश्चावर्ती विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में दिनांक 07.12.2021 को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। जिसका नामान्तकरण दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया। अतः वादियागण जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

2 व 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

दादरसी – तनकी न0 1 लगायत 3 के तनकीवार विश्लेषणानुसार ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ के विवादित आराजियात वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2300है0 के साबिक खसरा नम्बर 714 रकवा 0.2300है0 में प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में बाद इन्द्राज दुरूस्ती पर्चा लगान प्राप्त करने का अधिकारी है।

क्रियात्मक आदेश

दावा वादीयागण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ के विवादित आराजियात वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2300है0 के साबिक खसरा नम्बर 714 रकबा 0.2300है0 में प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में बाद इन्द्राज दुरूस्त किया जावें एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 को बाद इन्द्राज दुरूस्ती इस कदर पाबन्द फरमाया जाता है कि वह वादियागण को उसकी उक्त खातेदारी भूमि में उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न नही करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ